

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 31 अक्टूबर 2018

विषय:- जनपद -इलाहाबाद में एन0एच0-2 जी0टी0 रोड (बेगम बाजार से चौफटका) किमी0 186.800 से किमी0 194.000 के मध्य कुम्भ मेला 2019 के अंतर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 6.418 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-289/11सी-एफ/यूपी/रोड/34116/2018, दिनांक-06-08-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद -इलाहाबाद में एन0एच0-2 जी0टी0 रोड (बेगम बाजार से चौफटका) किमी0 186.800 से किमी0 194.000 के मध्य कुम्भ मेला 2019 के अंतर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 6.418 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-पी-146(1)/14-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी इलाहाबाद।
- 4- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग इलाहाबाद।
- 5- अधि गासी अभियंता निर्माण खण्ड-01 लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव